न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 59/2025 G.C.M.S. No. 2025/365 दर्ज दिनांक : 04.06.2025

अपीलार्थी:

1. कैलाश पुत्र मुलीया, उम्र 38 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी सरीया देवी की गली, आहोर, तहसील आहोर व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मोहन पुत्र वगता
2. सुरेश पुत्र काना, जातियान कुम्हार, निवासीगण सरीया देवी की गली, आहोर, तहसील आहोर व जिला जालोर।
3. किशन पुत्र पारस, उम्र नाबालिग, निवासी सरीया देवी की गली, आहोर, तहसील आहोर व जिला जालोर जरिये संरक्षक राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर जालोर।
4. फुसाराम पुत्र पारस, उम्र नाबालिग, निवासी सरीया देवी की गली, आहोर, तहसील आहोर व जिला जालोर जरिये संरक्षक राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर जालोर।
5. जैसाराम पुत्र काना
6. लीला पुत्री काना
7. सुरज पुत्री काना
8. बदाराम पुत्र काना
9. भोमाराम पुत्र काना मृत के का.मु.—
   9/1 कला पत्नि भोमाराम
   9/2 पिन्टू पुत्र भोमाराम
   9/3 रवी पुत्र भोमाराम
10. जेठाराम पुत्र मुलीया
11. मेथीदेवी पत्नि मुलीया, जातियान कुम्हार, निवासीगण सरीया देवी की गली, आहोर, तहसील आहोर व जिला जालोर।
12. लासकी पुत्री मुलीया जाति कुम्हार, निवासी इन्द्रा कॉलोनी आहोर, तहसील आहोर व जिला जालोर।
13. सकाराम पुत्र मुलीया मृत के का.मु.—
    13/1 भंवर पुत्र सकाराम
    13/2 रमेश पुत्र सकाराम
    13/3 गोपीया पुत्र सकाराम
    13/4 शांति पत्नि सकाराम, जातियान कुम्हार, निवासीगण इन्द्रा कॉलोनी आहोर, तहसील आहोर व जिला जालोर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर, जिला जालोर।
15. उप—पंजीयक आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2014 बअनवान मोहन बनाम मुलिया वगैरह में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.12.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री ललित खत्री, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री जितेन्द्रकुमार चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1
3. रेस्पोंडेंट संख्या 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3 व 13/3 तर्क, शेष बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2014 बअनवान मोहन बनाम मुलिया वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अपीलार्थी व प्रतिउत्तरदाता संख्या 10 से 13 के पूर्व पुरूष श्री मूलीया पुत्र पुनमाजी व काना पुत्र वागीया मृत के उत्तराधिकारीगण प्रतिउत्तरदाता संख्या 02 से 08 प्रतिउत्तरदाता संख्या 09 भोमाराम पुत्र कानाजी के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक मौजा आहोर पटवार क्षेत्र आहोर में स्थित वर्तमान खसरा संख्या 539 क्षेत्रफल 1.38 हैक्टेर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 633 क्षेत्रफल 2.26 हैक्टेर, किस्म जाव सोयम कुमटीया व खसरा नम्बर 661 क्षेत्रफल 2.26 हैक्टेर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है जिसमे से खसरा नम्बर 633 क्षेत्रफल 2.26 हैक्टेर किस्म जाव सोयम पर कब्जा काश्त केवल वादी का ही चला आ रहा है, तथा पुराने समय से ही उक्त खसरा नम्बर की बिगोडी राज्य सरकार को वादी ही चुकाता आ रहा है। जागीरी उन्मूलन के बाद वक्त सैटलमेन्ट अर्थात संवत् 2009 में खसरा नम्बर 633 पर वादी व उनके पूर्वजों का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं उनके नाम खुदकाश्त दर्ज थीं, आज भी उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त वादी प्रतिउत्तरदाता का ही हैं। वादी का खसरा नम्बर 633 की आराजी पर पिछले 50 वर्षों से लगातार बिना किसी रोक–टोक आज दिन तक कब्जा चला आ रहा है जो हर खास व आम की जानकारी में चला आ रहा है। वादी प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 कब्जा खसरा नम्बर 633 पर लगातार चला आ जाने के बावजूद प्रतिवादीगण ने कब्जे को कभी चेलेन्ज नहीं किया, तथा कब्जा हटाने की हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। जिसके चलते प्रतिवादीगण का वादी से कब्जा लेने का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधान के अनुसार खत्म हो गया है जिसके चलते वादी खसरा नम्बर 633 के पूरे रकबे का खातेदार बन गया है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 29/04/2014 को धमकी दी कि वे राजस्व अभिलेख के आधार पर गलत रूप से दर्ज

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
झालावाड़

हिस्से का बैचान करेंगे व हमारे कब्जा काश्त मे बैजा मदाखलत करेंगे। बिनाय दावा बमुकाम आहोर मे दिनांक 29.04.14 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादीगण से खसरा नम्बर 633 मे से उनका नाम हटा कर उसका नाम रखने व खसरा नम्बर 539 व 661 को मेरा नाम हटा कर प्रतिवादीगण के नाम रखने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर कहा कि उक्त आराजी हम लोग किसी बदमाश, गुण्डा प्रवृति को बैचान कर देंगे और वो लोग वादी को जबरदस्ती मारपीट कर कब्जा हटा देंगे। प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, जिसके कारण से बिना नोटिस दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। खसरा नम्बर 633 पर वादी को प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे व वाद जरिए बंटवाडा वादी को खसरा नम्बर 633 राजस्व रेकर्ड में अलग करके दिया जाने का आदेश फरमावे। वादी प्रतिवादीगण के विरूध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि विधिविरूद्ध है। चूंकि प्रतिउत्तरदाता संख्या 09 भोमाराम को प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में पक्षकार संयोजित किया था परन्तु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद बिना उसके उत्तराधिकारिगणों को पक्षकार संयोजित किए बिना वाद निर्णित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2/ई पारसमल के दो अवयस्क सन्ताने प्रतिउत्तरदाता संख्या 03 व 04 पक्षकार थें जिनके प्राकृतिक संरक्षकों माता व पिता दोनों का स्वर्गवास हो जाने के चलते अधिनस्थ न्यायालय को उनके विरूद्ध विधिवत् संरक्षक नियुक्त कर वाद में आगामी सुनवाई करनी अपेक्षित थीं, परन्तु अधिनस्थ न्यायलय ने बिना किसी प्रक्रिया प्रतिउत्तरदाता संख्या 02 के नाम प्रतिउत्तदाता संख्या 03 व 04 के लिए बतौर संरक्षक लिखकर वाद में बैजा कार्यवाही की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मात्र प्रतिवादी संख्या 01 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स डिक्री जारी करने के लिए निवेदन किया था। अन्य प्रतिवादीगण की सहमति के बिना या वादी की और से पूर्ण साक्ष्य लेकर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंपने समक्ष लम्बित वाद का निस्तारण किया जा सकता था, जो न कर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की हैं। जिसके चलते भी अपील में प्रशनगत निर्णय व आज्ञप्ति को बनाए नहीं रखा जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी का वाद व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे अभिलेख पर उपलब्ध थें। जिनका सही तरीके से विश्लेषण किए बिना अधिनस्थ न्यायालय ने आनन-फानन में वादी के वाद को बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त के अनुसार विभाजन के लिए निर्णित कर भारी कानूनी भूल की हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं होने के चलते उक्त अपील विहित परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत की जा रही हैं। उक्त अपील विलंब से प्रस्तुत करने में अपीलांट की कोई बदनियति

नहीं हैं, मात्र परिस्थितियों के चलते विलंब से अपील पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट वादी ने अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक वाद खातेदारी हक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2024 को निर्णित व प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं होने के चलते उक्त अपील विहित परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत की जा रही हैं। उक्त अपील विलंब से प्रस्तुत करने में अपीलांट की कोई बदनियति नहीं हैं, मात्र परिस्थितियों के चलते विलंब से अपील पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की गैर मौजूदगी में एकपक्षीय पारित किया गया है तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से कारित नहीं किया गया है। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त होने के कारण माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2014 को वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2/3 सुरेश की ओर से अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई तथा आदेशिका दिनांक 09.12.2024 के अंकन अनुसार उक्त की ओर से प्राथमिक डिक्री बाबत सहमति दी गई। दीगर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी थीं तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु जैरकार थीं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2024 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा सहमति दिए जाने के आधार पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनकर सहमति के

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

अंकन के साथ अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। जबकि यह आज्ञापक था कि दीगर प्रतिवादीगण जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा जिनकी ओर से कोई सहमति या राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ, उनके विरूद्ध वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित किया जाना था। जो नहीं किया गया तथा एक प्रकार से वादपत्र को बिना साक्ष्य से ही डिक्री कर दिया गया। जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 38/2014 बअनवान मोहन बनाम मुलिया वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.12.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विवाद्यक विरचित कर विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में विहित विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र में विधिनुसार अंतिम रूप से निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 20.07.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी